


मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमिंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 140]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी 2010—फाल्गुन 7, शक 1931

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2010

क्र. एफ. 16-1-2010-एक-4.—राज्य शासन द्वारा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 16-34-1995-एक-4, दिनांक 31 मार्च 1997 द्वारा प्रकाशित “मध्यप्रदेश भवन तथा मध्यार्थ अधिवास नियम, 1997” के परिशिष्ट-दो के सरल क्र. 3 के कालम क्र. (3) के स्थान पर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :—

स. क्र.	प्रवर्ग	अधिवास की शर्तें एवं शुल्क की दरें
(1)	(2)	(3)
3.	मध्यप्रदेश के विधायकगण	प्रतिमाह पांच दिन के लिये निःशुल्क अधिवास की पात्रता होगी इससे अधिक ठहरने पर रु. 200/- प्रतिदिन शुल्क लिया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. डी. साहू, अपर सचिव।